वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव श्री गोपाल के. पिल्लई की अध्यक्षता में नए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए दिनांक 17.3.2006 को सुबह 10.30 बजे आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त

नए विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव, श्री गोपाल के. पिल्लई की अध्यक्षता में दिनांक 17.3.2006 को प्रात: 10.30 बजे अनुमोदन बोर्ड की एक बैठक आयोजित की गई। प्रतिभागियों की एक सूची संलग्न है।

(2) अध्यक्ष महोदय ने एसईजेड अधिनियम के तहत गठित अनुमोदन बोर्ड की पहली बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने बहु-उत्पाद एसईजेड और विभिन्न सेक्टर-विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता का उल्लेख किया, जैसा कि 10 फरवरी 2006 को लागू हुए सांविधिक नियमों में प्रावधान किया गया था। उन्होंने उल्लेख किया कि इस संबंध में राजस्व विभाग की राय में अंतर था।

(3) एसईजेड में ट्रेडिंग इकाइयों को अनुमति प्रदान करने पर चर्चा हुई। इस बात की आशंका थी कि डीटीए में विशुद्ध रूप से व्यापारिक इकाइयां टैक्स से बचने के लिए एसईजेड को अन्यत्र स्थानांतरित करने का अनुरोध कर सकती हैं। एसईजेड में इस तरह की गतिविधि की अनुमति प्रदान किए जाने के कारण राजस्व हानि की चिंताओं के मद्देनजर बोर्ड ने विकास आयुक्तों को यह निर्देश देने का निर्णय लिया कि वे एसईजेड में किन्हीं भी व्यापारिक इकाइयों को स्थापित करने की अनुमति तब तक प्रदान न करें, जब तक कि इस मुद्दे की पूरी तरह से जांच न कर ली जाए और इस विषय पर दिशानिर्देश जारी न कर दिए जाएं। बीओए में यह स्पष्ट समझ थी कि एसईजेड से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अर्थात एसईजेड से निर्यात के लिए भौतिक आयात कोई मुद्दा नहीं था।

(4) आईटी-एसईजेड (एक लाख वर्ग मीटर) के लिए न्यूनतम निर्धारित निर्मित प्रसंस्करण क्षेत्र के निर्माण की समय अवधि के मुद्दे पर भी बोर्ड द्वारा चर्चा की गई। एसईजेड के डेवलपर्स ने एसईजेड में इकाइयों के स्टार्ट-अप से पहले इतने बड़े निर्माण क्षेत्र के होने में कठिनाई व्यक्त की थी। यह नोट किया गया कि नियमों में ऐसी कोई समयावधि का उल्लेख नहीं था जिसके भीतर 1 लाख वर्ग मीटर के निर्मित प्रसंस्करण क्षेत्र को स्थापित करना आवश्यक हो। यह निर्णय लिया गया कि आईटी एसईजेड को एसईजेड की अधिसूचना की तारीख से 3 साल के भीतर एक लाख वर्ग मीटर का न्यूनतम निर्मित प्रसंस्करण क्षेत्र का निर्माण करना होगा।

(5) बोर्ड ने एसईजेड की स्थापना से आवेदनों पर विचार करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर चर्चा की। अध्यक्ष ने ऐसे आवेदनों पर विचार करने में बीओए द्वारा अपनाई जा सकने वाली प्रक्रिया का एक प्रारूप परिचालित किया। यह प्रक्रिया मोटे तौर पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दी गई थी और वह **अनुलग्नक-I** पर संलग्न है । यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में बीओए का सचिवालय प्रस्तावों की जांच करेगा और प्रत्येक प्रस्ताव के संबंध में बीओए के सदस्यों को एक जांच-सूची प्रदान की जाएगी। जांच-सूची का एक प्रोफॉर्मा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(6) प्रारंभ में बोर्ड ने उन प्रस्तावों पर विचार किया जिन्हें एसईजेड अधिनियम और नियमों के प्रारंभ होने से पहले अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था, परंतु जिन्हें वाणिज्य/ राजस्व विभाग

द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया था। अब इन प्रस्तावों पर एसईजेड अधिनियम के तहत अनुमोदन प्रदान किया जाना आवश्यक है।

(7) एसईजेड नियमों में निर्धारित न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता, डेवलपर द्वारा भूमि के कब्जे संबंधी मानदंड, राज्य सरकार की सिफारिश और एसईजेड अधिनियम/नियमों में निर्धारित अन्य मानदंडों सहित विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद प्रस्तावों पर बोर्ड के निर्णय निम्नानुसार हैं:

1. मैसर्स रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा जामनगर, गुजरात में पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स के लिए एक क्षेत्र-विशिष्ट एसईजेड की स्थापना।

डेवलपर के प्रतिनिधि ने कहा कि 1087 एकड़ (440 हेक्टेयर) भूमि उनके स्वामित्व में है और उनके कब्जे में है। राज्य सरकार ने प्रस्ताव पर अपनी सिफारिश से पहले ही अवगत करा दिया था। डेवलपर के प्रतिनिधि ने कहा कि भूमि के और अधिग्रहण के पश्चात ऐसे एसईजेड के लिए निर्धारित 1000 हेक्टेयर की क्षेत्र संबंधी न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने पर एसईजेड को बहु-उत्पाद एसईजेड में बदल दिया जाएगा।

बोर्ड ने डेवलपर द्वारा 1000 हेक्टेयर को न्यूनतम क्षेत्र के अधिग्रहण के पश्चात बहु-उत्पाद एसईजेड में इसके विस्तार के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन के साथ 1087 (440 हेक्टेयर) क्षेत्र में एक पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र-विशिष्ट एसईजेड के लिए औपचारिक अनुमोदन देने को मंजूरी दे दी थी।

2. मैसर्स गुजरात औद्योगिक विकास निगम द्वारा दाहेज, गुजरात में 4370 एकड़ (1768 हेक्टेयर) क्षेत्र में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना।

डेवलपर के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव और एसईजेड के प्रस्तावित स्थान का एक नक्शा प्रस्तुत किया जिस पर बोर्ड के सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया। यह नोट किया गया कि इस प्रस्ताव में एक बहु-उत्पाद एसईजेड के लिए निर्धारित न्यूनतम क्षेत्र के साथ-साथ आकस्मिकता संबंधी मानदंडों को पूरा किया गया था। बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. मैसर्स एनएमएसईजेड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा नवी मुंबई में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना।

डेवलपर के प्रतिनिधि ने कहा कि एसईजेड की 450 हेक्टेयर भूमि के लिए लीज डीड को सिडको के साथ मिलकर अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है। यह कहा गया था कि 450 हेक्टेयर के इस क्षेत्र पर एसईजेड का संचालन शुरू करने के पश्चात ही सिडको द्वारा अतिरिक्त जमीन लीज पर दी जाएगी। ये कथित रूप से ऐसी निबंधन व शर्तें थीं जिन पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा डेवलपर को परियोजना प्रदान की गई थी।

बहु-उत्पाद एसईजेड के लिए निर्धारित 1000 हेक्टेयर की क्षेत्र संबंधी न्यूनतम आवश्यकता से डेवलपर को अवगत कराया गया था। आगे यह उल्लेख किया गया कि एसईजेड को केवल तभी अधिसूचित किया जा सकता है जब यह न्यूनतम क्षेत्र डेवलपर के कब्जे में हो। एसईजेड अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के तहत 1000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र के लिए अनुमोदन प्रदान नहीं किया जा सकता।

प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया और डेवलपर को स्वामित्व/पट्टे के माध्यम से कब्जे में न्यूनतम निर्धारित क्षेत्र होने के बाद बोर्ड से संपर्क करने की सलाह दी गई।

4. 3740 हेक्टेयर क्षेत्र में मुंद्रा विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड द्वारा मुंद्रा (गुजरात) के लिए एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना

डेवलपर के प्रतिनिधि ने कहा कि एसईजेड के लिए भूमि दो संस्थाओं के कब्जे में है और उसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

डेवलपर	क्षेत्र (हेक्टेयर)
मुंद्रा एसईजेड लिमि.	1081.91
गुजरात अडानी पोर्ट लिमि.	2658.19

बैठक के दौरान डेवलपर के प्रतिनिधि ने संकेत दिया कि मैसर्स अडानी केमिकल्स लिमिटेड द्वारा उनके आवेदन में दर्शाए गए 137.57 हेक्टेयर के स्वामित्व क्षेत्र का मुंद्रा एसईजेड लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया है।

बोर्ड ने दो अलग-अलग एसईजेड को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय किया जिनमें से प्रत्येक स्वतंत्र रूप से न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता था। बोर्ड द्वारा आगे यह निर्णय लिया गया कि अनुमोदन प्रत्येक एसईजेड में भूमि के अधीन होगा। डेवलपर द्वारा प्राधिकृत गतिविधियों की सूची, जिस पर पहले अनुमोदन प्रदान किया गया था, का समर्थन किया गया।

5. कोच्चि पोर्ट ट्रस्ट द्वारा वल्लारपदम (115 हेक्टेयर) और पुथुव्यूपेन (285 हेक्टेयर) में पोर्ट आधारित एसईजेड की स्थापना ।

डेवलपर के प्रतिनिधि ने प्रस्तावों को प्रस्तुत किया और यह उल्लेख किया कि एसईजेड के लिए भूमि उनके कब्जे में है और यह न्यूनतम क्षेत्र संबंधी आवश्यकता को पूरा करती है। बोर्ड ने एसईजेड के लिए औपचारिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

6. मैसर्स दिवी लेबोरेट्रीज लिमि. द्वारा चिप्पदा, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में फार्मास्यूटिकल्स के लिए 250 एकड़ (101 हेक्टेयर) के क्षेत्र में एक क्षेत्र-विशिष्ट एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। बोर्ड ने औपचारिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

7. चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा चंडीगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी/आईटीईएस के लिए 111 एकड़ (45 हेक्टेयर) के क्षेत्र में एक क्षेत्र-विशिष्ट एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। बोर्ड ने औपचारिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

8. हिंजवाडी, पुणे (महाराष्ट्र) में आईटी/आईटीईएस के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा 205 एकड़ (82 हेक्टेयर) क्षेत्र में एक क्षेत्र-विशिष्ट एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। बोर्ड ने औपचारिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

9. मैसर्स फ्लेक्सट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्रा. लिमि. द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और संबंधित सेवाओं के लिए श्रीपेरंबुदूर, चेन्नई (तमिलनाडु) में 250 एकड़ (101 हेक्टेयर) के क्षेत्र में एक क्षेत्र-विशिष्ट एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। बोर्ड ने औपचारिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

10. मैसर्स एम.एल. डालमिया एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा आईटी/आईटीईएस के लिए 120 एकड़ (48 हेक्टेयर) के क्षेत्र में एक एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। बोर्ड ने औपचारिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

11. मैसर्स इन्फोपार्क, कोच्चि द्वारा आईटी/आईटीईएस के लिए कुसुमगिरी, ग्राम कक्कनाड, एर्नाकुलम जिला (केरल) में 91.9 एकड़ (37 हेक्टेयर) के क्षेत्र में एक एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। बोर्ड ने औपचारिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

12. मैसर्स बायोकॉन लिमि. द्वारा बैंगलोर में जैव-प्रौद्योगिकी के लिए 90 एकड़ (36 हेक्टेयर) के क्षेत्र में एक एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में, बायोटेक एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 100 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, इसलिए बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन देने का निर्णय लिया।

13. मैसर्स श्यामाराजू ऐंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कृष्णराजपुरम, बैंगलोर में आईटी/आईटीईएस के लिए 74 एकड़ (30 हेक्टेयर) के क्षेत्र में एक एसईजेड की स्थापना।

डेवलपर के प्रतिनिधि ने कहा कि 55 एकड़ (22 हेक्टेयर) भूमि मैसर्स श्यामाराजू एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के कब्जे में है और शेष भूमि का स्वामित्व मैसर्स हुवेई टेक्नोलॉजीज के पास था जो श्यामाराजू ऐंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मैसर्स के साथ एक संयुक्त डेवलपर बनना चाहता था।

राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी।

प्रस्ताव पर चर्चा हुई और बोर्ड ने दो अलग-अलग डेवलपर्स द्वारा संयुक्त विकास संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में एक आईटी/आईटीईएस एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, इसलिए बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन देने का निर्णय लिया। बोर्ड ने श्यामाराजू ऐंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को आईटी/आईटीईएस के लिए बैंगलोर के कृष्णराजपुरम में 55 एकड़ (22 हेक्टेयर) क्षेत्र में एक क्षेत्र-विशिष्ट एसईजेड के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

14. विप्रो लिमिटेड द्वारा 80 एकड़ (32 हेक्टेयर) के क्षेत्र में चेन्नई में आईटी/आईटीईएस के लिए एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। बोर्ड ने औपचारिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

15. कांडला में मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र प्रा. लिमि. द्वारा एक मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि एफटीडब्ल्यूजेड के लिए जमीन डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार आस्थगित करने का निर्णय किया।

16. फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग क्षेत्र प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्रेटर नोएडा में एक मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र की स्थापना।

राज्य सरकार का प्रतिनिधि ने यह उल्लेख किया कि एफटीडब्ल्यूजेड के लिए जमीन डेवलपर को उपलब्ध नहीं कराई गई है। बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार आस्थगित करने का निर्णय किया।

17. मैसर्स क्वार्किटी इंडिया प्रा. लिमिटेड द्वारा पंजाब के मोहाली में आईटी के लिए 51 एकड़ (20 हेक्टेयर) के क्षेत्र में एक एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, इसलिए बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन देने का निर्णय लिया।

18. मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा चेन्नई के सिरुसेरी में आईटी/आईटीईएस के लिए 28.53 हेक्टेयर (70.50 एकड़) के क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। बोर्ड ने औपचारिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

19. मैसर्स ईटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड द्वारा पल्लीकरनई, चेन्नई में आईटी/आईटीईएस के लिए 26 एकड़ (10.5 हेक्टेयर) के क्षेत्र में एक एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, इसलिए बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन देने का निर्णय लिया।

20. मैसर्स हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा चेन्नई के सिरुसेरी में आईटी/आईटीईएस के लिए 27.28 एकड़ (11 हेक्टेयर) के क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, इसलिए बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन देने का निर्णय लिया।

21. मैसर्स कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इंडिया प्रा. लिमि. द्वारा चेन्नई के सिरुसेरी में आईटी/आईटीईएस के लिए 28.8 एकड़ (11 हेक्टेयर) क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि एसटीपीआई योजना के तहत चिन्हित भूमि पर कुछ भवनों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। बोर्ड ने प्रस्ताव के विचार को स्थगित करने का फैसला किया कि मौजूदा संरचनाओं को एसईजेड क्षेत्र में शामिल करने की अनुमति दी जाएगी या नहीं, यदि ऐसा है तो जिन शर्तों के तहत ऐसी अनुमति दी जाएगी, इस मुद्दे की जांच की जानी चाहिए।

22. मैसर्स ईओएन खराड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमि. द्वारा खराड़ी, पुणे (महाराष्ट्र) में आईटी / आईटीईएस के लिए 45 एकड़ (18 हेक्टेयर) के क्षेत्र में एक एसईजेड की स्थापना।

महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि ने कहा कि उनके पास प्रस्ताव नहीं आया था। बोर्ड ने इस बात पर ध्यान दिया और प्रस्ताव पर विचार करने का निर्णय लिया।

23. मैसर्स सिंटेल इंटरनेशनल प्रा. लिमि. द्वारा चेन्नई/ तमिलनाडु के सिरुसेरी में आईटी/आईटीईएस के लिए 27.52 एकड़ (11 हेक्टेयर) क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, इसलिए बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन देने का निर्णय लिया।

24. मैसर्स डीएलएफ आकृति इन्फोपार्क (पुणे) लिमिटेड द्वारा पुणे (महाराष्ट्र) में आईटी/आईटीईएस के लिए 60 एकड़ (24 हेक्टेयर) क्षेत्र में एक एसईजेड की स्थापना।

राज्य सरकार की सिफारिश प्रतीक्षित थी। बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार आस्थगित करने का निर्णय लिया।

25. मैसर्स डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड द्वारा हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) में आईटी/आईटीईएस के लिए 26.22 एकड़ (10 हेक्टेयर) क्षेत्र में एक एसईजेड की स्थापना।

राज्य सरकार की सिफारिश प्रतीक्षित थी। बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार आस्थगित करने का निर्णय लिया।

26. मैसर्स सिंटेल इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड द्वारा तलवाडे सॉफ्टवेयर पार्क, पुणे (महाराष्ट्र) में आईटी/आईटीईएस के लिए 40 एकड़ (16 हेक्टेयर) क्षेत्र मेंएक एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, इसलिए बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन देने का निर्णय लिया।

27. मैसर्स एचसीएल टेक्नोपार्क लिमिटेड द्वारा नोएडा (यूपी) में आईटी/आईटीईएस के लिए 41.78 एकड़ (16 हेक्टेयर) क्षेत्र में एक एसईजेड की स्थापना।

राज्य सरकार की सिफारिश प्रतीक्षित थी। बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार आस्थगित करने का निर्णय लिया।

28. विप्रो लिमिटेड द्वारा ग्रेटर नोएडा में आईटी/आईटीईएस के लिए 50 एकड़ (20 हेक्टेयर) क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, इसलिए बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन देने का निर्णय लिया।

29. मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और डीएसआरके होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बैंगलोर (कर्नाटक) में आईटी/आईटीईएस के लिए 55.20 एकड़ (22 हेक्टेयर) क्षेत्र में एक एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि आवेदन दो डेवलपर्स द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया है। यह पाया गया कि आवेदन को एक एकल डेवलपर द्वारा दायर किया जाना चाहिए था जो भूमि का मालिक हो। आवेदकों ने इंगित किया कि जमीन का मालिकाना हक प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के पास था। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के

न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, इसलिए बोर्ड ने मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 55.2 एकड़ के क्षेत्र में आईटी क्षेत्र से संबंधित एसईजेड के लिए औपचारिक मंजूरी प्रदान की।

30. विप्रो लिमिटेड द्वारा आईटी/आईटीईएस के लिए पुणे में 50 एकड़ (20 हेक्टेयर) क्षेत्र में एक एसईजेड की स्थापना।

राज्य सरकार की सिफारिश प्रतीक्षित थी। बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार आस्थगित करने का निर्णय लिया।

31. डीएलएफ इन्फो सिटी डेवलपर्स (चेन्नई) लिमिटेड द्वारा चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी/आईटीईएस के लिए 38.49 एकड़ (15 हेक्टेयर) क्षेत्र में एक एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, इसलिए बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन देने का निर्णय लिया।

32. मैसर्स जैन्सा इंडिया लिमि. द्वारा चेन्नई (तमिलनाडु) में आईटी/आईटीईएस के लिए 25.50 एकड़ (10 हेक्टेयर) क्षेत्र में एक एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, इसलिए बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन देने का निर्णय लिया।

33. मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी द्वारा गुड़गांव (हरियाणा) में आईटी/आईटीईएस के लिए 67.24 एकड़ (27 हेक्टेयर) क्षेत्र में एक एसईजेड की स्थापना।

राज्य सरकार की सिफारिश प्रतीक्षित थी। बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार आस्थगित करने का निर्णय लिया।

34. मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी पार्क द्वारा त्रिवेंद्रम, केरल में आईटी/आईटीईएस के लिए 86 एकड़ (34 हेक्टेयर) क्षेत्र में एक एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तत्पश्चात बोर्ड ने विकास आयुक्त, कोच्चि एसईजेड द्वारा खाली की जा रही भूमि के सत्यापन के अध्यधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

35. गुजरात हीरा बोर्स द्वारा इशापोर, सूरत में रत्न और आभूषण के लिए 247 एकड़ (100 हेक्टेयर) क्षेत्र में एक एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। बोर्ड ने औपचारिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

36. गुजरात औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा अहमदाबाद में परिधानों के लिए 95 एकड़ (38 हेक्टेयर) क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार आस्थगित करने का निर्णय लिया क्योंकि डेवलपर के पास अपने कब्जे में भूमि का न्यूनतम निर्धारित क्षेत्र नहीं था। एसईजेड को चरणों में अधिसूचित करने के लिए डेवलपर के अनुरोध को बोर्ड द्वारा खारिज कर दिया गया क्योंकि औपचारिक अधिसूचना जारी करने से पूर्व एसईजेड नियमों के तहत न्यूनतम निर्धारित क्षेत्र के कब्जे की आवश्यकता थी।

37. आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा 90 एकड़ (36 हेक्टेयर) क्षेत्र में आदित्यपुर (झारखंड) में ऑटोमोबाइल और उसके घटकों के लिए एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि प्रस्ताव 100 हेक्टेयर की न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि यह उन मामलों में से एक था जिन्हें एसईजेड नियमों के नियम 5 उप-नियम (3) और **अनुलग्नक-II** द्वारा कवर किया गया था। तदनुसार, बोर्ड ने औपचारिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

38. हेवलेट पैकर्ड द्वारा बैंगलोर में आईटी के लिए 18 एकड़ (7 हेक्टेयर) क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि प्रस्ताव 25 हेक्टेयर की न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि यह उन मामलों में से एक था जिन्हें एसईजेड नियमों के नियम 5 उप-नियम (3) और **अनुलग्नक-II** द्वारा कवर किया गया था। तदनुसार, बोर्ड ने औपचारिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

39. मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा इंदौर में मध्य प्रदेश में आईटी के लिए 21 एकड़ (8 हेक्टेयर) क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि प्रस्ताव 25 हेक्टेयर की न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि यह उन मामलों में से एक था जिन्हें एसईजेड नियमों के नियम 5 उप-नियम (3) और **अनुलग्नक-II** द्वारा कवर किया गया था। तदनुसार, बोर्ड ने औपचारिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

40. विप्रो लिमिटेड द्वारा बैंगलोर, सरजापुर में आईटी के लिए 16 एकड़ (6 हेक्टेयर) क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि प्रस्ताव 25 हेक्टेयर की न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि यह उन

मामलों में से एक था जिन्हें एसईजेड नियमों के नियम 5 उप-नियम (3) और **अनुलग्नक-II** द्वारा कवर किया गया था। तदनुसार, बोर्ड ने औपचारिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

41. विप्रो लिमिटेड द्वारा हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आईटी के लिए 16 एकड़ (6 हेक्टेयर) क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि प्रस्ताव 25 हेक्टेयर की न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि यह उन मामलों में से एक था जिन्हें एसईजेड नियमों के नियम 5 उप-नियम (3) और **अनुलग्नक-II** द्वारा कवर किया गया था। तदनुसार, बोर्ड ने औपचारिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

42. विप्रो लिमिटेड द्वारा बैंगलोर इलेक्ट्रॉनिक सिटी में आईटी के लिए 13 एकड़ (5 हेक्टेयर) क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि प्रस्ताव 25 हेक्टेयर की न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि यह उन मामलों में से एक था जिन्हें एसईजेड नियमों के नियम 5 उप-नियम (3) और **अनुलग्नक-II** द्वारा कवर किया गया था। तदनुसार, बोर्ड ने औपचारिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

43. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में फार्मा और बायो-टेक के लिए 53 एकड़ (21 हेक्टेयर) क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि प्रस्ताव 100 हेक्टेयर की न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि यह उन मामलों में से एक था जिन्हें एसईजेड नियमों के नियम 5 उप-नियम (3) और **अनुलग्नक-II** द्वारा कवर किया गया था। तदनुसार, बोर्ड ने औपचारिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

44. मैसर्स दिल्ली मेट्रो निगम द्वारा शास्त्री पार्क, दिल्ली में आईटी के लिए 15 एकड़ (6 हेक्टेयर) क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार आस्थगित करने का निर्णय लिया क्योंकि बैठक में न तो डेवलपर और न ही दिल्ली सरकार का कोई प्रतिनिधि उपस्थित था।

45. हरियाणा प्रौद्योगिकी पार्क द्वारा फरीदाबाद, हरियाणा में आईटी के लिए 8.25 एकड़ (3 हेक्टेयर) क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि प्रस्ताव 25

हेक्टेयर की न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि यह उन मामलों में से एक था जिन्हें एसईजेड नियमों के नियम 5 उप-नियम (3) और **अनुलग्नक-II** द्वारा कवर किया गया था। तदनुसार, बोर्ड ने औपचारिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

46. रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा मोहाली, पंजाब में फार्मास्यूटिकल्स के लिए 80 एकड़ (32 हेक्टेयर) क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि प्रस्ताव 100 हेक्टेयर की न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि यह उन मामलों में से एक था जिन्हें एसईजेड नियमों के नियम 5 उप-नियम (3) और **अनुलग्नक-II** द्वारा कवर किया गया था। तदनुसार, बोर्ड ने औपचारिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

47. जाइडस फाइनांस लिमि. द्वारा अहमदाबाद में फार्मास्यूटिकल्स के लिए 120 एकड़ (48 हेक्टेयर) क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि प्रस्ताव 100 हेक्टेयर की न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि यह उन मामलों में से एक था जिन्हें एसईजेड नियमों के नियम 5 उप-नियम (3) और **अनुलग्नक-II** द्वारा कवर किया गया था। तदनुसार, बोर्ड ने औपचारिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

48. कंसोर्टियम ऑफ शू मैन्युफैक्चरर द्वारा चेन्नई में फुटवियर के लिए 150 एकड़ (60 हेक्टेयर) क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

डेवलपर के पास जमीन का कब्जा नहीं था। बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार आस्थगित करने का निर्णय लिया।

49. मैसर्स एम.एल. डालमिया एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में चमड़ा उत्पादों के लिए 110 एकड़ (44 हेक्टेयर) क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना ।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि प्रस्ताव 100 हेक्टेयर की न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि यह उन मामलों में से एक था जिन्हें एसईजेड नियमों के नियम 5 उप-नियम (3) और **अनुलग्नक-II** द्वारा कवर किया गया था। तदनुसार, बोर्ड ने औपचारिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

50. मैसर्स अपाचे इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फुटवेयर के लिए 250 एकड़ (101 हेक्टेयर) क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने उल्लेख किया कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। बोर्ड ने औपचारिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

(8) बोर्ड ने इसके पश्चात सभी नए प्रस्तावों पर विचार किया। एसईजेड नियमों में निर्धारित न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता, डेवलपर द्वारा भूमि के कब्जे संबंधी मानदंड, राज्य सरकार की सिफारिश और एसईजेड अधिनियम/नियमों में निर्धारित अन्य मानदंडों सहित विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों पर बोर्ड के निर्णय निम्नानुसार हैं:

बहु-उत्पाद एसईजेड

1. मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा गुड़गांव, हरियाणा में 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, जमीन डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. दीवान इंवेस्टमेंट्स प्रा. लिमिटेड द्वारा वसई, जिला ठाणे, मुंबई, महाराष्ट्र में 1011 हेक्टेयर क्षेत्र में बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, जमीन डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. महिंद्रा रियल्टी लिमिटेड (महिंद्रा गेसको डेवलपर्स लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) द्वारा कराला, लोनावाला के नजदीक, महाराष्ट्र में 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, जमीन डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

4. एमआईडीसी द्वारा अतिरिक्त सिन्नर नासिक जिला, महाराष्ट्र में 1010 हेक्टेयर क्षेत्र में बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, जमीन डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

5. एमआईडीसी द्वारा नंदगांव पेठ, जिला अमरावती, महाराष्ट्र में 1010 हेक्टेयर क्षेत्र में बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने उल्लेख किया कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

6. भारत फोर्ज लिमिटेड द्वारा ग्राम गुलानी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में बहु-उत्पाद एसईजेड उत्पाद की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, जमीन डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

7. मैराथन रियल्टी लिमिटेड द्वारा पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 1100 हेक्टेयर क्षेत्र में बहु-उत्पाद एसईजेड/बहु सेवाओं की स्थापना।

महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि ने कहा कि प्रस्ताव की जांच चल रही थी। बोर्ड ने इस पर ध्यान दिया और प्रस्ताव पर विचार आस्थगित करने का निर्णय लिया।

8. यूनिटेक हरियाणा एसईजेड लिमिटेड द्वारा सोनीपत-कुंडली, हरियाणा में 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, जमीन डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

9. डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड द्वारा अंबाला, हरियाणा में 1012 हेक्टेयर क्षेत्र में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, जमीन डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

10. डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड द्वारा गुड़गांव, हरियाणा में 8097 हेक्टेयर क्षेत्र में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, जमीन डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

11. डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड द्वारा लुधियाना, पंजाब में 1011 हेक्टेयर क्षेत्र में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, जमीन डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

12. डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड द्वारा हरियाणा के पंचकुला में 1012 हेक्टेयर क्षेत्र में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना।

राज्य सरकार द्वारा भूमि की अनुपलब्धता और पर्यावरण संबंधी सरोकारों के कारण प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की गई थी । इसलिए, बोर्ड ने प्रस्ताव को अस्वीकार करने का निर्णय लिया।

13. डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड द्वारा देवनाहल्ली, आंध्र प्रदेश के पास हिंदूपुर में 1012 हेक्टेयर क्षेत्र में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में नहीं थी और राज्य सरकार की सिफारिश अभी भी प्रतीक्षित थी। बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार आस्थगित करने का निर्णय लिया।

14. डीएस कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, जमीन डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

15. पुरवा, भदोई, पुरवा विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा यूपी में 3287 हेक्टेयर क्षेत्र में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, जमीन डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

16. डीएस कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा हरियाणा के पलवल में 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में एक मल्टी-प्रोडक्ट एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, जमीन डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

17. औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (ग्वालियर, मध्य प्रदेश) लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, जमीन डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

18. बिजनेस पार्क टाउन प्लानर्स लिमिटेड द्वारा पलवल, फरीदाबाद में 1011 हेक्टेयर क्षेत्र में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना।

डेवलपर ने निर्धारित फॉर्म ए में आवेदन नहीं किया था। आगे, बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि जमीन डेवलपर के कब्जे में नहीं थी और राज्य सरकार की सिफारिश प्रतीक्षित थी। बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार आस्थगित करने का निर्णय लिया।

19. पैन इंडिया पर्यटन लिमिटेड द्वारा गोराई-मनोरी क्षेत्र, मुंबई, महाराष्ट्र में 1000 हेक्टेयर में बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, जमीन डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

20. रहेजा हरियाणा एसईजेड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा धारूहेड़ा-रेवाड़ी बेल्ट, हरियाणा में 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, जमीन डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

21. अदानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा ग्राम धोलेरा, तालुक: धंधुका, जिला अहमदाबाद, गुजरात में बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में नहीं थी और राज्य सरकार की सिफारिश का प्रतीक्षित थी। बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार आस्थगित करने का निर्णय लिया।

22. एस्सार हजीरा एसईजेड द्वारा चौरासी, जिला, हजीरा, गुजरात में 1100 हेक्टेयर क्षेत्र में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना।

यह बताया गया कि प्रस्तावित स्थान में पहले से इकाइयां मौजूद हैं। गुजरात सरकार के प्रतिनिधि ने यह इंगित किया कि प्रस्तावित स्थल में भूमि की और अधिक उपलब्धता नहीं होगी। बोर्ड ने एक बहु-उत्पाद एसईजेड के लिए प्रस्ताव को स्थगित करने और प्रस्ताव पर एक प्रस्तुति के लिए प्रमोटर को बुलाने का निर्णय लिया।

23. एस्सार जामनगर एसईजेड लिमिटेड द्वारा गुजरात के जामनगर में 2470 हेक्टेयर क्षेत्र में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना।

राज्य सरकार ने प्रस्ताव की जांच के लिए समय मांगा। डेवलपर ने यह उल्लेख किया कि उनके पास 1000 हेक्टेयर से अधिक खाली जमीन है। एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 3 (3) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने 60 दिनों के भीतर प्राप्त होने वाली राज्य सरकारों की सिफारिश के अधीन सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

गैर-पारंपरिक ऊर्जा एसईजेड

24. मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड द्वारा ग्रेटर नोएडा, यूपी में सौर ऊर्जा उपकरण/सेल सहित गैर-पारंपरिक ऊर्जा के लिए 11.9 हेक्टेयर एक क्षेत्र-विशिष्ट एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति की कि सौर ऊर्जा उपकरण/सेल एसईजेड सहित गैर-पारंपरिक ऊर्जा के लिए न्यूनतम क्षेत्र 100 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, इसलिए बोर्ड ने अनुमोदन के 60 दिनों के भीतर राज्य सरकार की सिफारिश के अध्यधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

रत्न और आभूषण संबंधी एसईजेड

25. हैदराबाद जैम्स एसईजेड लिमिटेड द्वारा कांच इमारत, शमसाबाद, हैदराबाद में रत्न एवं आभूषण के लिए 80.93 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने उल्लेख किया कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में रत्न और आभूषण क्षेत्र के एक एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 100 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया है इसलिए बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

26. रायपुर, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा रत्न और आभूषण के लिए 29.00 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने कहा कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है। हालांकि, जमीन डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में रत्न और आभूषण क्षेत्र के एक एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 100 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया है तथा राज्य सरकार की सिफारिश के मद्देनजर बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

जैव-प्रौद्योगिकी एसईजेड

27. एमआईडीसी द्वारा जालना औद्योगिक क्षेत्र, जिला- जालना, महाराष्ट्र में जैव-प्रौद्योगिकी के लिए 40.33 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में बायोटेक एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 100 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया है इसलिए बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

28. जुबलियांट ऑर्गोसिस लिमिटेड द्वारा कर्नाटक के मैसूर के हेब्बल औद्योगिक क्षेत्र में जैव-प्रौद्योगिकी के लिए 10.11 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, जमीन डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर

आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में बायोटेक एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 100 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया है तथा राज्य सरकार की सिफारिश के मद्देनजर बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

29. बायोलॉजिकल ई. लिमिटेड द्वारा कोल्थुर ग्राम, समीरपेट मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में जैव-प्रौद्योगिकी के लिए 28.83 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि ईओयू योजना के तहत चिन्हित भूमि पर कुछ भवनों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। बोर्ड ने प्रस्ताव के विचार को स्थगित करने का फैसला किया कि मौजूदा संरचनाओं को एसईजेड क्षेत्र में शामिल करने की अनुमति दी जाएगी या नहीं, यदि ऐसा है तो जिन शर्तों के तहत ऐसी अनुमति दी जाएगी, इस मुद्दे की जांच की जानी चाहिए।

एफटीडब्ल्यूजेड

30. डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड द्वारा पंजाब के अमृतसर में एफटीडब्ल्यूजेड के लिए 40 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, जमीन डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

31. मुक्त व्यापार भण्डारण प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मुंबई में एफटीडब्ल्यूजेड के लिए 100 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, जमीन डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

32. मैसर्स आईडीए अैम्सटरडैम, नीदरलैंड द्वारा महिंद्रा सिटी एसईजेड, चेन्नई में एफटीडब्ल्यूजेड के लिए 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

यह प्रस्ताव महिंद्रा एसईजेड में फार्मास्युटिकल उत्पादों के लिए एक एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए था, जो ऑटो-घटकों के लिए एक क्षेत्र-विशिष्ट एसईजेड है। बोर्ड ने प्रस्ताव पर आस्थगित करने का निर्णय लिया।

अन्य क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड

33. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) द्वारा कागल-हतकनागले, जिला-कोल्हापुर, महाराष्ट्र में कपड़ा के लिए 104 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

34. एमआईडीसी द्वारा कृष्णूर इंडस्ट्रियल एरिया, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र में फार्मास्यूटिकल्स के लिए 150 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

35. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) द्वारा लातूर औद्योगिक क्षेत्र, जिला-लातूर, महाराष्ट्र में कृषि क्षेत्र के लिए 200 हेक्टेयर के क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

36. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) द्वारा शेंद्रे, औरंगाबाद जिले में ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए 210 हेक्टेयर के क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

37. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) द्वारा बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्र, जिला-नागपुर, महाराष्ट्र में 383 हेक्टेयर क्षेत्र में वस्त्र संबंधी एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

38. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) द्वारा शेंद्रे औद्योगिक क्षेत्र, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र में जैव-प्रौद्योगिकी और फार्मा के लिए 107 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। बोर्ड ने फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

39. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) द्वारा उसार, रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र में कैप्टिव पावर जनरेशन इंडस्ट्री के लिए 103 हेक्टेयर के क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि बिजली की आपूर्ति का प्रसंस्करण एसईजेड को समर्थन सेवा प्रदान करने का हिस्सा हो सकता है। एसईजेड गतिविधि होने के नाते कैप्टिव पावर जनरेशन के मुद्दे का समाधान नहीं किया गया है। बोर्ड ने इस मामले की जांच करने और प्रस्ताव पर विचार स्थगित करने तथा विद्युत मंत्रालय की टिप्पणी प्राप्त करने का निर्णय लिया।

40. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) द्वारा भद्रावती चंद्रपुर जिले, महाराष्ट्र में बिजली और बिजली से संबंधित परियोजनाओं के लिए 1100 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि बिजली की आपूर्ति का प्रसंस्करण एसईजेड को समर्थन सेवा प्रदान करने का हिस्सा हो सकता है। एसईजेड गतिविधि होने के नाते कैप्टिव पावर जनरेशन के मुद्दे का समाधान नहीं किया गया है। बोर्ड ने इस मामले की जांच करने और प्रस्ताव पर विचार स्थगित करने तथा विद्युत मंत्रालय की टिप्पणी प्राप्त करने का निर्णय लिया।

41. विजयदुर्ग शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में जहाज निर्माण, जहाज की मरम्मत और सहायक उद्योग के लिए 101 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि किया कि भूमि डेवलपर के कब्जे में नहीं थी और राज्य सरकार की सिफारिश अभी भी प्रतीक्षित थी। बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार आस्थगित करने का निर्णय लिया।

42. ओवरसीज इन्फ्रास्ट्रक्चर एलायंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा छाता, जिला- मथुरा , उ.प्र. में कपड़ा, वस्त्र, परिधान और सहायक उपकरण के लिए 100 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना ।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, भूमि डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

43. ओवरसीज इन्फ्रास्ट्रक्चर एलायंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा छाता, जिला मथुरा, उ.प्र. में औषधि और औषधि और जैव तकनीक के लिए 100 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, भूमि डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

44. मैसर्स जुबलियांट ऑर्गोसिस लिमिटेड द्वारा गुजरात में फार्मास्यूटिकल और रसायन के लिए 160 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना ।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, भूमि डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने फार्मास्टयूटिकल क्षेत्र के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

45. भारतीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा ग्राम भीमासर, तालुक अंजार, जिला भुज, गुजरात में फ्लैट स्टील उत्पाद के लिए 101 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्तावित स्थल पर एक मौजूदा इकाई काम कर रही थी। बोर्ड ने डेवलपर को सलाह दी कि वह 100 हेक्टेयर या उससे अधिक की स्पष्ट, खाली और सन्निहित भूमि का संकेत देते हुए एक नया आवेदन दायर करे, जिस पर बोर्ड द्वारा विचार किया जा सके।

46. डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड द्वारा पंजाब के अमृतसर में 160 हेक्टेयर क्षेत्र में वस्त्र संबंधी एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, भूमि डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

47. डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड द्वारा अमृतसर, पंजाब में इंजीनियरिंग के लिए 140 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, भूमि डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

48. डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड द्वारा अमृतसर, पंजाब में खाद्य प्रसंस्करण के लिए 100 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, भूमि डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

49. मिलेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शनमंगला गांव, रामनगर, बैंगलोर, कर्नाटक में परिधान और फैशन सामग्रियों के लिए 100 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

डेवलपर को मिली शिकायत के खिलाफ बोर्ड ने गृह मंत्रालय और राजस्व विभाग से टिप्पणी प्राप्त करने का निर्णय लिया । बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार आस्थगित करने का निर्णय लिया।

50. एन.जी. रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम राजोदा, जिला अहमदाबाद, गुजरात में औद्योगिक मशीनरी और सहायक कंपनियों के लिए 127 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, भूमि डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

51. बजाज ऑटो लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र के वालुज, औरंगाबाद में ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल घटकों के लिए 100 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

52. रामकी फार्मा सिटी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा जगन्नाथपुरम और लेमार्थी गांव, विशाखापत्तनम जिला, आंध्र प्रदेश में फार्मास्यूटिकल्स के लिए 243 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना ।

बोर्ड ने टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

53. गोकुलदास एक्सपोर्ट्स अपैरल एंड टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बैंगलोर के कागलहल्ली गांव में परिधान और वस्त्र के लिए 141 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, भूमि डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

54. राजस्थान विस्फोटक और रसायन लिमिटेड द्वारा राजस्थान के धौलपुर में वस्त्र और परिधानों के लिए एसईजेड की स्थापना।

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव को आस्थगित करने की मांगी की थी क्योंकि राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था। इसलिए, बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार आस्थगित करने का निर्णय लिया।

55. राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा धौलपुर, राजस्थान में ऑटो घटकों और सहायक सामग्रियों के लिए एसईजेड की स्थापना ।

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव को आस्थगित करने की मांगी की थी क्योंकि राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था। इसलिए, बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार आस्थगित करने का निर्णय लिया।

56. राजस्थान एक्सप्लोसिव्स एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा धौलपुर, राजस्थान में इंजनों और उपकरणों के लिए एसईजेड की स्थापना।

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव को आस्थगित करने की मांगी की थी क्योंकि राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था। इसलिए, बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार आस्थगित करने का निर्णय लिया।

57. राजस्थान विस्फोटक और रसायन लिमिटेड द्वारा राजस्थान के धौलपुर में चमड़े के सामान के लिए एसईजेड की स्थापना।

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव को आस्थगित करने की मांगी की थी क्योंकि राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था। इसलिए, बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार आस्थगित करने का निर्णय लिया।

58. राजस्थान विस्फोटक और रसायन लिमिटेड द्वारा राजस्थान के धौलपुर में हस्तशिल्प के लिए एसईजेड की स्थापना ।

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव को आस्थगित करने की मांगी की थी क्योंकि राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था। इसलिए, बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार आस्थगित करने का निर्णय लिया।

59. राजस्थान एक्सप्लोसिव्स एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा धौलपुर, राजस्थान में जूते और जूते से संबंधित सामग्रियों के लिए एसईजेड की स्थापना ।

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव को आस्थगित करने की मांगी की थी क्योंकि राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था। इसलिए, बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार आस्थगित करने का निर्णय लिया।

60. मैसर्स अरिहंत टेक्नो इकोनॉमिक पार्क प्रा. लिमिटेड द्वारा ठाणे-भिवंडी रोड, महाराष्ट्र में वस्त्रों के लिए 107 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, भूमि डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

61. मैसर्स रूचि स्ट्रिप्स ऐंड अलॉयज़ लिमि. द्वारा ग्राम सेजवे, जिला धार, मध्य प्रदेश में फ्लैट स्टील के लिए एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्तावित स्थल पर मौजूदा इकाई कार्य कर रही थी और इकाई के कब्जे वाले क्षेत्र को छोड़ने से क्षेत्रफल में न्यूनतम निर्धारित क्षेत्र अर्थात 100 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की कमी आएगी। बोर्ड ने डेवलपर को सलाह दी कि वह 100 हेक्टेयर या अधिक की स्पष्ट, खाली और सन्निहित भूमि के साथ एक नया प्रस्ताव बना सकता है, जिस पर बोर्ड द्वारा विचार किया जा सकता है।

62. डॉ. रेड्डीज लेबोरेट्रीज लिमिटेड द्वारा बहादुरपुरपल्ली ग्राम, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में फार्मास्यूटिकल्स के लिए एसईजेड की स्थापना।

यह प्रस्ताव 59 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए था। डेवलपर को एक प्रस्तावित क्षेत्र के साथ बोर्ड को एक ताजा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी, जिसमें 100 हेक्टेयर से कम खाली और सन्निहित भूमि नहीं थी।

63. सुप्रीम पेट्रोकेम लिमिटेड द्वारा तालुक रोहा, रायगढ़, महाराष्ट्र में प्लास्टिक प्रसंस्करण के लिए 100 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

चूंकि राज्य सरकार की सिफारिश का इंतजार था, इसलिए बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार आस्थगित करने का निर्णय लिया।

64. अलीगढ़ इंडस्ट्रियल पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यू.पी. के अलीगढ़ के पास ग्राम भरतारी में बिल्डर्स हार्डवेयर/ब्रासवेयर के लिए 132 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना। लिमिटेड-

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, भूमि डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

आईटी क्षेत्र के एसईजेड

65. मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड (महिंद्रा गेसको की सहायक कंपनी) द्वारा आईटी/आईटीईएस के लिए एसईजेड को बहु-उत्पाद तक विस्तारित करने के लिए जयपुर में एसईजेड की स्थापना - आईटी के लिए 49 हेक्टेयर क्षेत्र का बहु-उत्पाद एसईजेड के 1000 हेक्टेयर के क्षेत्र में विस्तार किया जाना है।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। बोर्ड ने आईटी क्षेत्र के एसईजेड को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने और और उसका बहु-उत्पाद एसईजेड में विस्तार करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

66. एमआईडीसी द्वारा राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क, हिंजेवाड़ी, चरण - 3, पुणे में आईटी/आईटीईएस के लिए 229.30 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी कि कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

67. मैसर्स उप्पल हाउसिंग लिमिटेड द्वारा राठीवास, भोडकालन और भूड़का गांवों, गुड़गांव में बहु सेवाओं के लिए 108.86 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है। जमीन डेवलपर के कब्जे में है। राज्य सरकार की सैद्धांतिक सिफारिश और एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 3 (3) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने 60 दिनों के भीतर प्राप्त होने वाली राज्य सरकारों की औपचारिक सिफारिश के अध्यधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

68. मैसर्स विपुल लिमिटेड द्वारा फाजिलपुर और बेहरामपुर गांवों, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी/आईटीईएस के लिए 60 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, भूमि डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

69. मैसर्स के. रहेजा आईटी पार्क (हैदराबाद) प्रा. लिमिटेड द्वारा माधापुर, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी/आईटीईएस के लिए 36.62 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। डेवलपर द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि कुछ भूमि पर कार्यशील संरचनाएं विद्यमान हैं और केवल 30.52 एकड़ खाली और सन्निहित भूमि है। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, इसलिए बोर्ड ने डेवलपर के कब्जे वाली खाली भूमि के संबंध में औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया। (30.52 एकड़/12 हेक्टेयर)।

70. मैसर्स अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड द्वारा टेक जोन, ग्रेटर नोएडा में आईटी/आईटीईएस के लिए 30.41 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

71. मैसर्स लक्सर साइबर सिटी प्रा. लिमिटेड द्वारा ग्राम सिकोहपुर, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव में आईटी/आईटीईएस के लिए 28 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है। जमीन डेवलपर के कब्जे में है। राज्य सरकार की सैद्धांतिक सिफारिश और एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 3 (3) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने 60 दिनों के भीतर राज्य सरकारों की औपचारिक सिफारिश प्राप्त होने के अध्यधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

72. विकास टेलीकॉम लिमिटेड द्वारा वरुथुर होबली, बैंगलोर ईस्ट तालुक के देवाराबिसनहल्ली और करियम्मना अग्रहरा गांवों में आईटी/आईटीईएस के लिए 36 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने उल्लेख किया कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

73. सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार और मैसर्स आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ग्राम मधुरावाड़ा, आंध्र प्रदेश में आईटी/आईटीईएस के लिए 16 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, इसलिए बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने निर्णय लिया ।

74. सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग और मैसर्स आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ग्राम नानकरामगुडा रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी/आईटीईएस के लिए 10 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

राज्य सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया।

75. मैसर्स ओरियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड द्वारा बांधवारी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी/आईटीईएस के लिए 130 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, भूमि डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

76. सिटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गहुंजे, तालुका हवेली, जिला पुणे में इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी/आईटीईएस के लिए 30 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

चूंकि राज्य सरकार की सिफारिश का इंतजार था, इसलिए बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार आस्थगित करने का निर्णय लिया।

77. रोजव्यू प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गुड़गांव, हरियाणा में आईटी/आईटीईएस के लिए एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, भूमि डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

78. मैसर्स डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड द्वारा शमशाबाद, हैदराबाद में आईटी/आईटीईएस के लिए 101 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि राज्य सरकार ने कहा कि वे प्रस्तावित क्षेत्र में भूमि मुहैया कराने में सक्षम नहीं होंगे।

79. मैसर्स विजन इंफ्रा बिल्ट लिमिटेड द्वारा गुड़गांव में आईटी/आईटीईएस के लिए 80 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

प्रमोटरों द्वारा प्रस्ताव वापस ले लिया गया था।

80. मैसर्स एसटी माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्लॉट नंबर 1, नॉलेज पार्क- III, ग्रेटर नोएडा, यू.पी. में आईटी/आईटीईएस के लिए 10.12 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड द्वारा यह नोट किया गया कि प्रस्तावित एसईजेड के क्षेत्र में एक मौजूदा कार्यशील वाणिज्यिक भवन विद्यमान है। बोर्ड ने न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने वाली भूमि के रिक्त और सन्निहित भूखंड के संबंध में डेवलपर्स से एक नए प्रस्ताव की प्राप्ति के लंबित रहने संबंधी प्रस्ताव पर विचार आस्थगित करने का निर्णय लिया।

81. मैसर्स प्राइमल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बेलंदूर विलेज, वरथुर, होबली, बंगलो में आईटी/आईटीईएस के लिए 12.33 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, भूमि डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया है और राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

82. मफार होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा देवनहल्ली गांव, बैंगलोर, कर्नाटक में आईटी/आईटीईएस के लिए 12.14 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

चूंकि राज्य सरकार की सिफारिश का इंतजार था, इसलिए बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार आस्थगित करने का निर्णय लिया।

83. मैसर्स रिपल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ताज एक्सप्रेस हाईवे, नोएडा में आईटी/आईटीईएस के लिए 10.11 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

चूंकि भूमि डेवलपर के कब्जे में नहीं थी और प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा अभी तक अनुशंसित नहीं किया गया था, इसलिए बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार आस्थगित करने का निर्णय लिया।

84. मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड द्वारा थोटलाकोंडा, विशाखापत्तनम में आईटी/आईटीईएस के लिए 20.23 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, इसलिए बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने निर्णय लिया ।

85. मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड द्वारा बहादुरपुर, हैदराबाद में आईटी/आईटीईएस के लिए 10.52 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, इसलिए बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने निर्णय लिया ।

86. मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड द्वारा हाई - टेक सिटी, हैदराबाद में आईटी/आईटीईएस के लिए 12.14 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, इसलिए बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने निर्णय लिया ।

87. मैसर्स के. रहेजा कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यरवदा गांव, हवेली तालुका, पुणे जिला, महाराष्ट्र में आईटी/आईटीईएस के लिए 10.40 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड द्वारा यह नोट किया गया था कि डेवलपर के पास भूमि पर स्वामित्व या पट्टे का अधिकार नहीं था। डेवलपर कंपनी को लीजहोल्ड अधिकारों के असाइनमेंट के बाद एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी।

88. मैसर्स सनवाइज प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अर्डी सिटी, गुड़गांव में आईटी/आईटीईएस के लिए 10.12 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है। भूमि डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया था और राज्य सरकार की सैद्धांतिक सिफारिश तथा एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 3 (3) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने 60 दिनों के भीतर राज्य सरकारों से प्राप्त औपचारिक सिफारिश के अध्यधीन औपचारि अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

89. मैसर्स सीव्यू डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा सेक्टर 135, नोएडा, यू.पी. में आईटी/आईटीईएस के लिए 12.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है। भूमि डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर का न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया है और राज्य सरकार की सैद्धांतिक सिफारिश तथा एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 3 (3) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने 60 दिनों के भीतर राज्य सरकारों से प्राप्त औपचारिक सिफारिश के अध्यधीन औपचारि अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

90. मैसर्स वाटिका जयपुर एसईजेड डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा जयपुर, राजस्थान में आईटी / आईटीईएस के लिए 20.23 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि पट्टा करारों के अंतर्गत डेवलपर के अधिकार में है। भूमि डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर का न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया है और राज्य सरकार की सैद्धांतिक सिफारिश तथा एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 3 (3) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने 60 दिनों के भीतर राज्य सरकारों से प्राप्त औपचारिक सिफारिश के अध्यधीन औपचारि अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

91. मैसर्स एपी टेक्नो प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मधुपुर, हैदराबाद में आईटी/आईटीईएस के लिए 10 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, इसलिए बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

92 मैसर्स सीए कम्प्यूटर एसोसिएट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नानकरामगुडा ग्राम , रंगा रेड्डी जिले, एपी में आईटी/आईटीईएस के लिए 12.14 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, इसलिए बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

93. मैसर्स आईटी इंफ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नोएडा, यूपी में आईटी/आईटीईएस के लिए 10 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि ने यह उल्लेख किया कि इस प्रस्ताव की जांच की जा रही थी और उसे आस्थगित कर दिया गया। बोर्ड ने इस पर ध्यान दिया और प्रस्ताव पर विचार आस्थगित करने का निर्णय लिया।

94. मैसर्स के. रहेजा यूनिवर्सल प्रा. लिमिटेड द्वारा नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी/आईटीईएस के लिए 20.64 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, भूमि डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया है तथा राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने एमआईडीसी द्वारा डेवलपर को भूमि के पट्टे की अनापत्ति प्रदान किए जाने के अध्यधीन सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

95. मैसर्स स्वीट होम एस्टेट प्रा. लिमिटेड द्वारा ग्राम बामनौली, वसंत विहार, नई दिल्ली में आईटी/आईटीईएस के लिए एसईजेड की स्थापना।

राज्य सरकार ने प्रस्ताव पर कोई सिफारिश नहीं भेजी और न ही बोर्ड में इसका प्रतिनिधित्व किया गया। इसलिए बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार आस्थगित करने का निर्णय लिया।

96. सैन इंजीनियरिंग ऐंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड द्वारा वाइटफील्ड, बैंगलोर में आईटी/आईटीईएस के लिए एसईजेड की स्थापना।

कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि ने यह उल्लेख किया कि इस प्रस्ताव की जांच चल रही थी और उसे आस्थगित कर दिया गया। बोर्ड ने इस पर ध्यान दिया और प्रस्ताव पर विचार आस्थगित करने का निर्णय लिया।

97. सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार और मैसर्स आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ग्राम मधुरावाड़ा, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में आईटी/आईटीईएस के लिए 91.08 एकड़ (36 हेक्टेयर) क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

98. सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार और मैसर्स आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ग्राम केसरपल्ली गांव, आंध्र प्रदेश में आईटी/आईटीईएस के लिए 30.6 एकड़ (12 हेक्टेयर) क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, इसलिए बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

99. हीरानंदानी बिल्डर्स द्वारा मुंबई, पवई में आईटी/आईटीईएस के लिए 12.57 हेक्टेयर एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया था, इसलिए राज्य सरकार की सैद्धांतिक रूप से की गई सिफारिश और एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 3 (3) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने 60 दिनों के भीतर मिलने वाली राज्य सरकारों की औपचारिक सिफारिश के अध्यधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

100. मैसर्स के. रहेजा यूनिवर्सल प्रा.लि. द्वारा ग्राम बनसारी, कुक्षी, और शिरावने, तालुका ठाणे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी/आईटीईएस के लिए 13 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, भूमि डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया है तथा राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने एमआईडीसी द्वारा डेवलपर को भूमि के पट्टे की अनापत्ति प्रदान किए जाने के अध्यधीन सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

101. मैसर्स जैन्सा (इंडिया) लिमिटेड द्वारा ग्रेटर नोएडा में आईटी/आईटीईएस के लिए 10 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि ने यह उल्लेख किया कि प्रस्ताव की जांच चल रही थी। बोर्ड ने इस पर ध्यान दिया और प्रस्ताव पर विचार आस्थगित करने का निर्णय लिया।

102. मैसर्स जैन्सा (इंडिया) लिमिटेड द्वारा तलवाडे सॉफ्टवेयर पार्क में आईटी/आईटीईएस के लिए 10 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, डेवलपर के पास प्रस्तावित 10 हेक्टेयर क्षेत्र में से केवल 16 एकड़ भूमि थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया है तथा राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

103. मैसर्स आदर्श प्राइम प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड द्वारा ग्राम वरथुर होबली, कर्नाटक में आईटी/आईटीईएस के लिए 24.51 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया था, इसलिए बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

104. मैसर्स शेल इंडिया प्रा. लिमिटेड द्वारा बैंगलोर, कर्नाटक में आईटी/आईटीईएस के लिए 10 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, भूमि डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया है तथा राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

105. मैसर्स कॉनकॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स द्वारा अक्कलनेल्हल्ली और मल्लेनाहल्ली गांव, कसबा होबली, बैंगलोर ग्रामीण जिला में आईटी/आईटीईएस के लिए 13.44 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना ।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, भूमि डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया है तथा राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

106. मैसर्स मेडिकैप्स आईटी पार्क प्रा. लिमिटेड द्वारा इंदौर में आईटी पार्क के लिए 12.25 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया था, इसलिए राज्य सरकार की सैद्धांतिक रूप से की गई सिफारिश और एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 3 (3) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने 60 दिनों के भीतर मिलने वाली राज्य सरकारों की औपचारिक सिफारिश के अध्यधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

107. मैसर्स कार्ले इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स द्वारा नागवारा गांव, बैंगलोर, उत्तरी तालुका में आईटी/आईटीईएस/बीपीओ के लिए 11.25 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि ने यह उल्लेख किया कि प्रस्ताव की जांच चल रही थी। बोर्ड ने इस पर ध्यान दिया और प्रस्ताव पर विचार आस्थगित करने का निर्णय लिया।

108. मैसर्स पवित्र धाम कंस्ट्रक्शंस (प्रा.) लिमिटेड द्वारा ग्रेटर नोएडा में आईटी/आईटीईएस के लिए 22.25 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है। भूमि डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया था, इसलिए राज्य सरकार की सैद्धांतिक सिफारिश तथा एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 3 (3) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने 60 दिनों के भीतर राज्य सरकारों से प्राप्त औपचारिक सिफारिश के अध्यधीन औपचारि अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

109. आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा नानकरामगुडा गांव, सीरिलैम्पली मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी/आईटीईएस के लिए 20.53 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया था, इसलिए बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

110. मैसर्स बीए टेक पार्क प्रा. लिमिटेड बंटवाल तालुक, दक्षिण कन्नड़ जिले, कर्नाटक में आईटी/आईटीईएस के लिए 12 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है। भूमि डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया था, इसलिए राज्य सरकार की सैद्धांतिक सिफारिश तथा एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 3 (3) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने 60 दिनों के भीतर राज्य सरकारों से प्राप्त औपचारिक सिफारिश के अध्यधीन औपचारि अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

111. मैसर्स राजस्थान विस्फोटक और रसायन लिमिटेड द्वारा धौलपुर, राजस्थान में आईटी/आईटीईएस के लिए एसईजेड की स्थापना

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव को स्थगित करने की मांग की क्योंकि राज्य सरकार ने अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई विचार व्यक्त नहीं किया था। बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(9) इसके पश्चात बोर्ड ने केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु राज्यों में एसईजेड की स्थापना के लिए नए प्रस्तावों पर विचार किया। चूंकि इन राज्यों की विधान सभाओं के चुनावों की घोषणा कर दी गई थी, बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि इन प्रस्तावों के संबंध में बोर्ड का निर्णय कार्यवृत्त में दर्ज किया जाएगा परंतु उसे चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात ही केंद्र सरकार के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। इस श्रेणी में चर्चा किए गए प्रस्तावों और उस पर लिए गए निर्णयों को एक अलग गोपनीय हिस्से में दर्शाया गया है।

अन्य प्रस्ताव

1. महिंद्रा सिटी एसईजेड के तीन एसईजेड में गैर-प्रसंस्करण क्षेत्रों में अधिकृत संचालन (सामाजिक अवसंरचना) के विकास के लिए सह-डेवलपर के रूप में महिंद्रा गेस्को को नियुक्त करने की मंजूरी

इस प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूरी दे दी थी।

2. मैसर्स रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा जामनगर में एसईजेड के संबंध में अधिकृत संचालन की स्वीकृति

प्राधिकृत संचालन, जैसा कि **अनुलग्नक-III** में दिया गया है, को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

3. मैसर्स एम.पी. औद्योगिक केंद्र विकास निगम (इंदौर) लिमिटेड द्वारा इंदौर में एसईजेड के संबंध में अधिकृत संचालन की स्वीकृति

प्राधिकृत संचालन, जैसा कि **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है, को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

4. मैसर्स पटनी कम्प्यूटर्स से ऐरोली, नवी मुंबई में आईटी/आईटीईएस के लिए 25.12 एकड़ के क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना के लिए उनके आस्थगित प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अनुरोध।

विचार के पश्चात बोर्ड ने विभिन्न सन्निहित मुद्दों की विस्तृत जांच के प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

5. मैसर्स नोकिया से राजस्व विभाग आदि द्वारा एसईजेड क्षेत्र के संबंध में जारी अधिसूचना में निर्धारित भूमि के अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता को समाप्त के संबंध में प्राप्त अनुरोध।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि आईटी/आईटीईएस एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता से पूरी कर ली गई है आई इसलिए दिनांक 07 दिसंबर, 2005 की डीओआर अधिसूचना में निर्धारित शर्त अब अनुप्रयोज्य नहीं है और उसे हटा दिया जाएगा। जहां तक शुल्क को वापस किए जाने का संबंध है, यह नोट किया गया कि एसईजेड ढांचे में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तथापि, डेवलपर डीम्ड निर्यात संबंधी लाभ प्रदान किए जाने हेतु उनके अनुरोध पर समुचित रूप से विचार करने हेतु डीजीएफटी के कार्यालय जा सकते हैं।

6. मैसर्स बोमीडाला एंटरप्राइजेज प्रा. लिमिटेड द्वारा सिगरेट के निर्माण और निर्यात के लिए मद्रास एसईजेड में एक इकाई स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव ।

बोर्ड ने विस्तृत जांच हेतु प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

7. सह-डेवलपर के रूप में एल एंड टी टेक पार्क लिमिटेड की मंजूरी के लिए इन्फोपोर्क, कोच्चि के प्रस्ताव

इस प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूरी दे दी थी।

8. (i) मौजूदा सूरत एसईजेड के क्षेत्र का विस्तार तथा (ii) प्राधिकृत संचालन के लिए अनुमोदन हेतु स्वीकृति।

एसईजेड के मौजूदा क्षेत्र के विस्तार को एसईजेड नियमों के तहत यथा आवश्यक भूमि तथा अन्य विवरणों के कब्जे संबंधी सबूत प्रस्तुत करने वाले डेवलपर के अध्यधीन अनुमोदित किया गया था।

प्राधिकृत संचालन, जैसा कि **अनुलग्नक V** में दिए गए हैं, को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

9. (i) मुंद्रा एसईजेड के सह-डेवलपर के रूप में मुंद्रा एसईजेड इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स एंड ऐपरेल पार्क (ii) मुंद्रा सेज के सह-डेवलपर के रूप में अडानी पावर प्राइवेट लिमिटेड के अनुमोदन संबंधी प्रस्ताव।

प्रस्तावों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

10. बक्कमपदी (मैंगलोर) में एक एसईजेड की स्थापना करने के लिए कनारा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को दिनांक 28.02.2006 से आगे बढ़ाने हेतु कर्नाटक सरकार से प्राप्त अनुरोध।

बोर्ड ने राज्य सरकार के प्रतिनिधि को यह सलाह दी कि वे एसईजेड संवर्धकों को एसईजेड के नियमों के अनुसार नए सिरे से आवेदन करने के लिए सूचित करें क्योंकि अनुमोदन की विस्तारित वैधता पहले ही समाप्त हो चुकी है तथा नई संस्था द्वारा नए सिरे से आवेदन किया जा रहा है।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

****

गोपनीय

केरल, पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु के राज्यों, जहां चुनाव प्रक्रिया जारी है, से प्राप्त एसईजेड प्रस्तावों पर अनुमोदन बोर्ड के निर्णय

1. सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड द्वारा ओल्ड महाबलिपुरम रोड, कांचीपुरम जिला, चेन्नई में आईटी/आईटीईएस के लिए 20 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, इसलिए बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. स्मार्ट सिटी (कोच्चि) इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कुसुमगिरी, कक्कनाड, एर्नाकुलम जिला, केरल में आईटी/आईटीईएस के लिए 404 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, भूमि डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. तमिलनाडु के इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा शोलिंगनल्लूर गांव, तम्बरम तालुका, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी/आईटीईएस के लिए 159.04 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

4. तमिलनाडु के इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विलंकुरिची, कोयम्बटूर उत्तर तालुका, कोयम्बटूर जिला, तमिलनाडु में आईटी/आईटीईएस के लिए 11.76 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, इसलिए बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

5. ऐपरेल्स ऐंड हैंडलूम एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन द्वारा इरुंगातुकोताई, श्रीपेरंबुदुर, चेन्नै में 49 हेक्टेयर क्षेत्र में वस्त्र संबंधी एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि एसईजेड का प्रस्तावित क्षेत्र 100 हेक्टेयर के न्यूनतम निर्धारित क्षेत्र से कम था। तदनुसार प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया।

6. मैसर्स एलायंस बिजनेस पार्क प्रा. लिमि. द्वारा चेन्नई के थोरीपक्कम में आईटी/आईटीईएस के लिए 10.11 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, भूमि डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया है तथा राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

7. मैसर्स ईटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड द्वारा उथुकुली गांव, इरोड जिला, तमिलनाडु में 101.62 हेक्टेयर क्षेत्र में वस्त्र संबंधी एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

8. डीएलएफ इन्फो सिटी डेवलपर्स (कोलकाता) लिमिटेड द्वारा राजरथ, कोलकाता में आईटी/आईटीईएस के लिए 10.12 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, इसलिए बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

9. वेलपन्नानी इन्फोरमेशन सिस्टम प्रा. लि. द्वारा श्रीपेरंबुदूर, तमिलनाडु में आईटी/आईटीईएस के लिए 100 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, भूमि डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 3 (3) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने 60 दिनों के भीतर प्राप्त होने वाली राज्य सरकारों की सिफारिश के अध्यधीन सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

10. ईटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड द्वारा चेंगलपेट, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में सेवाओं के लिए 105 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

11. जेनिटिस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मौजा-पुरसुताम्बती, हुगली जिला, पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए 12.14 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, भूमि डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया था और राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

12. ओवल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मौजा-बानाग्राम, जिला 24, परगना (दक्षिण) पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए 12.14 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि ने यह उल्लेख किया कि प्रस्ताव की जांच चल रही थी और उसे आस्थगित कर दिया गया था। बोर्ड ने इस पर ध्यान दिया और प्रस्ताव पर विचार आस्थगित करने का निर्णय लिया।

13. श्रीराम प्रॉपर्टीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चेन्नई के पास श्रीपेरुम्बुदूर में आईटी/आईटीईएस के लिए 10 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया था, इसलिए राज्य सरकार की सैद्धांतिक रूप से की गई सिफारिश और एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 3 (3) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने 60 दिनों के भीतर मिलने वाली राज्य सरकारों की औपचारिक सिफारिश के अध्यधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

14. सुटरलैंड ग्लोबल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कल्मासेरी, कोच्चि, केरल में आईटी/आईटीईएस के लिए 10 हेक्टेयर क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना।

बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि प्रस्ताव न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है। तथापि, भूमि डेवलपर के कब्जे में नहीं थी। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उनकी धारणा में आईटी एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र 25 हेक्टेयर होना चाहिए। चूंकि वैधानिक नियमों में 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का प्रावधान किया गया था और राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

*****